ग्राम पंचायत बजगा विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरिक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.03.2017

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, **ग्राम पंचायत, बजगा, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर** के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे;

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्रीमती प्रतिभा रानी	23/01/11 से 22.01.2016 तक
2	श्री धनवीर सिंह	23.01.2016 से लगातार

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1	श्री गोपाल सिंह	01/04/14 से 31/07/2014 तक
2.	श्री नेक राम	01/08/14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, बजगा के लेखों का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7(i)	गृहकर की शेष वसूली	0.23

2	7(ii)	मोबाइल टावर फीस की शेष वसूली	0.24
3	8	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	27.33
4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय	-----
5	10	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि न करना	------
6	11	जे.सी.बी चार्जीस का अनियमित भुगतान	3.24
7	12(i)	निर्माण कार्यो को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना राशि का आहरण/भुगतान	35.35
8	13(i)	रोकड़ बही में दर्ज राशि से Online पाया गया अधिक भुगतान	6.60

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बजगा, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **26.10.17 से 28.10.17, 06.11.17** से **08.11.17** को ग्राम पंचायत बजगा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	**आय माह**	**व्यय माह**
2014-15	06/2014	02/2015
2015-16	02/2016	05/2015
2016-17	06/2016	07/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्तिथि मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बजगा, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/पच्छाद/2017-18-12 दिनांक 08.11.2017 **द्वारा** सचिव, ग्राम पंचायत बजगा से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बजगा **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत बजगा के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	298760.79	56414.00	355174.79	17643.00	337531.79
2015-16	337531.79	100661.00	438192.79	10766.00	427426.79
2016-17	427426.79	76204.80	503631.59	34326.00	469305.59

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत बजगा द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है यद्यपि निधि का प्रारम्भिक शेष पृथक से निकाल रखा है जिसके अनुसार 31/03/2014 को निधि का शेष **₹298760.79** दर्शाया गया है, परन्तु पंचायत निधि का पृथक से खाता नहीं खोला गया है।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर **खाता-(क)** में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसका रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत बजगा के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2}** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	856175.45	2085549.00	2941724.45	1976364.00	965360.45
2015-16	965360.45	1886042.00	2851402.45	2107394.18	744008.27
2016-17	744008.27	4956230.00	5700238.27	2966945.00	2733293.27

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹109.** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	469305.59	1
2.	अनुदान	2733293.27	2
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	3202598.86	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	3250641.86	4
5.	**अन्तर**	48043.00	
6.	बैंक समाधान विवरणी के अनुसार अन्तर का कारण {46997+1155}	48152.00	**5**
7.	**शेष अन्तर**	**109.00**	

विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा (परिशिष्ट-4)

अनुदान का नाम	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
सामान्य निधि	HPSCB, Sarahan	56610104109	1927891.86
BRGF	----do---	56610105627	102901.00
विकास कार्य	----do---	56610104670	159862.00
MANREGA	----do---	56610104671	----------
IAY	----do---	56610104166	180109.00
14th FC	----do---	56610112852	744991.00
MHWDP	----do---	56610104898	113606.00
----do-------	SBOP, Sarahan	30311408946	20894.00
बचत बैंक खातों में जमा कुल राशि			**3250254.86**
हस्तगत शेष (सामान्य निधि)			**387.00**
01.04.2014 और 31.03.2017 को कुल शेष राशि			**3250641.86**

6 स्वः स्त्रोतों से आय बारे:-

ग्राम पंचायत बजगा को गत तीन वर्षों में स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण यह है कि ग्राम पंचायत **द्वारा** पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित नहीं की गई है क्योकि उक्त दरों के निधारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण अवधि के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया । यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत बजगा **द्वारा** उनके पत्र क्रमांक:1 दिनांक 08/11/2017 **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी है ।

Sr.No	Source of income	Rates of realization (₹)	Remarks
1	House Tax	30/- per year	2014-15
		30/- per year	2015-16
		30/- per year	2016-17
2	Shop Rent	--------	
3	Land Revenue	as per Govt. approved Rates	**13 revenue villages, but no receipts during audit period**
4	Marriage registration fees	200/-**{BPL @25/-}**	Registration within 30 days
		400/-**{BPL @50/-}**	Registration within 90 days
5	Certificate fee	10/-	----------
6	Liquor cess	-------	As per govt. rates
8	Mobile Towers	1 Nos	BSNL installed in 2008

अतः उक्त दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए|

7 स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की निरन्तर वसूली न करना :-

(i). गृहकर ₹0.23 लाख की वसूली शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट /पच्छाद/बजगा/2017-18-3 दिनांक 26/10/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक:GPB-3 दिनांक 08/11/2017 के क्रमांक: 2 द्वारा गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर की **₹22,770** की वसूली योग्य शेष थी, अतः उक्त राशी की शीघ्र वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर की वसूली गई तथा वसूली हेतु शेष राशि का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है

परिशिष्ट-6

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2013-14	400	30/-	12000/-	-------	12000/-
2014-15	410	30/-	12300/-	7950/-	16350/-
2015-16	432	30/-	12960/-	19590/-	9720/-
2016-17	435	30/-	13050/-	--------	22770/-
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**50310/-**	**27540/-**	**₹22,770/-**

(ii) मोबाइल टावर फीस ₹0.24 लाख की वसूली शेष :-

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त पत्र के क्रमांक: 3 पर दर्शायी गई सुचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को **पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित BSNL कम्पनी के** मोबाइल टावर की सम्बन्धित मोबाइल कम्पनी से नियमानुसार स्थापना व् नवीनीकरण शुल्क की **₹24,000** वसूली योग्य शेष थी अतः उक्त राशी को सम्बन्धित कम्पनी से वसूली कर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए| उक्त का ब्यौरा निम्नानुसार है ।

परिशिष्ट-6

वर्ष	देय शुल्क	प्राप्त शुल्क	शेष	विवरण
2008	**4000/-**	**--------**	**4000/-**	**स्थापना शुल्क @ 4000/-**
2009-	**10000/-**	**--------**	**10000/-**	**नवीनीकरण शुल्क @2000/- प्रति**

2013				वर्ष
2014-2017	10000/-	--------	10000/-	नवीनीकरण शुल्क @2500/- प्रति वर्ष
31.03.2017 को वसूली योग्य कुल राशि			24000/-	

सचिव, ग्राम पंचायत **द्वारा** आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में उक्त गृहकर शुल्क तथा मोबाइल टावर के नवीनीकरण व् स्थापना शुल्क के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः उपरोक्त आय की राशि की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली की जाए, साथ ही, पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

8 अनुदान ₹27.33 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक **₹27,33,293** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व

₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन्स आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके। जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत **द्वारा** नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति **द्वारा** निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है । परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये और नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों की अवहेलना कर पंचायत **द्वारा** किये गये क्रय की कुछ मदों का ब्यौरा संलग्न {**परिशिष्ट-7**} में दिया गया है ।

10 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत **द्वारा** प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है । ग्राम पंचायत बजगा के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमनुसार अपेक्षित थी । अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा संलग्न (**परिशिष्ट-**7) में दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि क दौरान निम्नलिखित स्टॉक सामग्री का क्रय भी किया गया है जिसको सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि ऐसा कोई अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त सामग्री की मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। क्रय की गई मदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

दिनांक	क्रय सामग्री का ब्यौरा	राशि (₹)
16.02.15	सिलाई मशीन {Luxmi Make} 10 No.@ 2476/-each	26000
08.07.16	Data Card {Intex}	1200

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

11 जे.सी.बी चार्जिज का ₹3.24 लाख का अनियमित भुगतानः-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर ₹324350 का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5)(a)व(b) के अनुसार ₹1000. से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है । जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत **द्वारा** जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। **इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा** अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये का भुगतान किया गया । अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी **द्वारा** करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी ।

(क) आयकर 2%
(ख) सेल्स टैक्स 3%
(ग) प्रतिभूति राशि 10%
(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे.सी.बी चार्जिज ₹3,24,350 के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल/दिनांक	कार्य के घंटे	दर प्रति घंटा ₹	कुल भुगतान ₹
अनुदान : विकास कार्य					
1	Jagmohan Singh	154/ 31.01.15	66	750/-	49500/-
2	Vijay Kumar	608/ 27.11.14	128	700/-	89600/-
3	R.D. Sharma	342/ 12.12.14	47	750/-	35250/-
4	------do------	362/ 25.05.15	**200**	750/-	150000/-
Total					₹324350/-

12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i) निर्माण कार्यो को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना ₹35.35 लाख का आहरण/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों को सक्षम **तकनीकी प्राधिकारी** से मूल्यांकित करवाए बिना निम्नतालिकानुसार **₹35,35,378** का आहरण/भुगतान किया गया है, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित तथा संदिग्ध प्रतीत होता है। विकास कार्यों की सूचि {**परिशिष्ट-8**} के अनुसार बहुत से कार्य वर्ष 2014-15 या इससे भी पहले से शुरू किये गए है तथा अंकेक्षण अवधि तक भी पूर्ण नहीं हुए थे और इन कार्यों पर दर्शाए गए व्यय का तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** मूल्यांकन कर लिया गया है या नही इस बारे कोई भी विवरण दर्ज नहीं है, जोकि उक्त विकास कार्यों की सूचि के अनुसार स्वतः ही स्पष्ट है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनके अभाव में दर्शाया गया व्यय/भुगतान सत्यता बारे पुष्टि नहीं की जा सकी, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए कि कौन से कार्य पूर्ण हो गए है तथा कौन से कार्य प्रगति पर है तथा कौन से कार्य कितनी अवधि से अधूरे/बन्द पड़े है और उन पर दर्शाया गया व्यय सही है या नहीं, अन्यथा, भुगतान/आहरण अनियमित पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुदान	कुल व्यय भुगतान	विवरण
विकास कार्य	**977303/-**	**परिशिष्ट-8 पृष्ठ-31**
बी.आर.जी.ऍफ़.	**826437/-**	**परिशिष्ट-8 पृष्ठ-32**

मनरेगा (2014-15, 2015-16)	824144/-	परिशिष्ट-8 पृष्ठ-35
मनरेगा 2016-17	552623/-	परिशिष्ट-8 पृष्ठ-38
14th FC	147766/-	परिशिष्ट-8 पृष्ठ-34
सामान्य	207105/-	परिशिष्ट-8 पृष्ठ-33
कुल	₹35,35,378/-	

(ii). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये लाखों रूपये के व्यय का माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार पुर्णतः जाँच नहीं की जा सकी। जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व् अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत **द्वारा** निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

13 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशि से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) रोकड़ बही में दर्ज राशि से वर्ष 2014-15 व् 2016-17 के दौरान ₹6.60 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया किमनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की राशि बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशी से वितीय वर्ष **2014-15** में **₹2,19,533** तथा वर्ष **2016-17** में **₹4,40,752** अधिक है। उक्त **Online** भुगतान की गई राशि तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त अन्तर/अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय	चेक द्वारा किया गया भुगतान	रोकड़ बही के अनुसार कुल ऑन	फाइनेंसियल स्टेटमेंट के	अन्तर अधिक भुगतान (₹)

			लाइन भुगतान	अनुसार कुल भुगतान	
2014-15	1147583	103082	1044501	1264034	219533
2016-17	1198858	---------	1198858	1639610	440752
कुल	**2346441**	**103082**	**2243359**	**2903644**	**660285**

(ii) वितीय वर्ष 2015-16 में रोकड़ बही में दर्ज व्यय भुगतान व् ऑनलाइन भुगतान में ₹1.53 लाख का अन्तर:-

पैरा 13(i) के विपरीत वितीय वर्ष 2015-16 में रोकड़ बही में ₹7,85,268 का व्यय भुगतान दर्ज है जबकि उक्त अवधि में ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार ₹6,32,222 भुगतान पाया गया है, अतः रोकड़ बही में दर्ज राशि और ऑनलाइन भुगतान में **₹1,53,046** का अन्तर पाया गया है उस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत की जाए।

(iii) वितीय वर्ष 2014-15 में चेक द्वारा किये गए ₹0.47 लाख के भुगतान का ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स में पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वितीय वर्ष 2014-15 में चेक **द्वारा** किये गए भुगतान ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स में भी दर्ज है जिससे यह अंदेशा होता है कि उक्त राशि का भुगतान कही दो बार तो नहीं हो गया है क्योंकि उपरोक्त पैरा के अनुसार ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार किया गया भुगतान रोकड़ बही में दर्ज भुगतान से अधिक पाया गया है। अतः उक्त बारे जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया **जाए।** उपरोक्त का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

C/O R.W.H.T.PREM PAL

रोकड़ बही की तिथि	**चेक संख्या द्वारा भुगतान**	**रोकड़ पृष्ठ**	**ऑनलाइन भुगतान तिथि**	**राशि (₹)**	**अधिक भुगतान**
21.06.2014	336298	83	21.06.2014	11350	11350
RCC GATKA L/R BAWTA					
03.09.2014	336299	84	03.09.2014	35960	35960
अधिक भुगतान/आहरित की गई राशि					**₹47310**

(iv) प्रोफोर्मा इनवॉइस को पारित कर ₹1.05 लाख का संदिग्ध व्यय/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **Him Udhyog Solan**, **द्वारा** जारी **₹1,16,887 {62977+53910}** के प्रोफोर्मा इनवॉइस को उक्त राशि के लिए पारित कर **₹1,04,800 {56500+48300}** का ऑनलाइन भुगतान दर्शाया गया है जोकि अनियमित तथा संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त संस्था से न तो व्यय भुगतान की वास्तविक रसीद प्राप्त की गई है और न ही उक्त खरीद से सम्बन्धित

वास्तविक बिल वाउचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया। अतः या तो उक्तविक्रेता से भुगतान प्राप्ति की रसीद व् वास्तविक बिल प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत की जाए, अन्यथा भुगतान वास्तविक न पाए जाने की स्थिति उक्त राशि की सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित की जाए।

Date	Proforma Invoice No.	Amount of Proforma bill passed by Pradhan	Amount Online Paid
C/O Drain Culvert L/R Dhabot			
26.11.14	2020200776	62,977	56,500
C/O Drain Culvert dosdka to Ser			
26.11.14	2020200777	53,910	48,300
Total Payment			**₹1,04,800**

(v) मस्टर रोल संख्या 614 का ₹2210 ऑनलाइन अधिक भुगतान:-

निर्माण कार्य सम्पर्क मार्ग शाटडी में मस्टर रोल संख्या 614 को प्रधान द्वारा ₹10,200 के लिए पारित किया गया था तथा उक्त मस्टर रोल रोकड़ बही के पृष्ट संख्या:108 पर दिनांक 28.07.2016 को भी 10,200 का ही दर्ज है। परन्तु उक्त मस्टर रोल का दिनांक 28.07.2016 को 11,050 का ऑनलाइन भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

14 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

15 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को बिना बिल वाउचर तैयार/पारित किये मानदेय का भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि तथा सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया है। परन्तु उक्त मानदेय के भुगतान/आहरण से सम्बन्धित पंचायत **द्वारा** न तो कोई भी बिल/वाउचर/रसीद

तैयार कर पारित किया गया है, और न ही उक्त **भुगतान के रख-रखाव से सम्बन्धित मानदेय पंजिका** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई । जिसके अभाव में उक्त भुगतान वास्तविक अथवा सही था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी साथ ही देय राशि से अधिक भुगतान हो जाने पर नियन्त्रण नहीं रह जाता क्योंकि मानदेय के भुगतान हेतु प्राप्त अनुदान तथा तदानुसार उसका सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान का रख-रखाव सामान्य निधि खाते में ही किया गया है, जहाँ से इसका अधिक भुगतान हो जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सचिव **द्वारा** मानदेय की सरकार **द्वारा** अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में मानदेय का दर्शाया गया भुगतान सही था भी या नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः वांछित अभिलेख नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थति स्पष्ट की जाए ।

16 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण अवधि में पंचायत को प्राप्त आय से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण उक्त अवधि में ग्राम पंचायत को प्राप्त आय का सम्बन्धित अभिलेख के साथ जाँच नहीं की जा सकी आहत दर्शायी गई आय सही थी अथवा नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर|
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर|

8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर।
9. स्टेशनरी रजिस्टर।
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर।
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर।
12. इन्वेंटरी रजिस्टर।

18 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

19 लघु आपत्ति विवरणिका :-

(i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान **द्वारा** ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव **द्वारा** शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव **द्वारा** संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा **द्वारा** उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत **द्वारा** भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

20 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)20/2018 खण्ड–1–2423–2426 दिनांक 07.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बजगा, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881